अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटाँड़(विद्यासागर)

विविध वाद संख्या–02 / 2023

मो0 हनीफ बनाम् झारखण्ड सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
18.08.2023	–:आदेश:–	

यह विविध वाद अभिलेख श्री मजहरूल हक पिता–मो0 हनीफ, साकिन ग्राम–करमाटाँड, पो0–करमाटाँड़, थाना–करमाटाँड, जिला–जामताड़ा के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में खोला गया है। आवेदक ने अंचल करमाटाँड़(विद्यासागर) अन्तर्गत मौजा–करमाटाँड, थाना सं0–11 के भौतिक पंजी–II के भाग सं0–02 के पृष्ठ सं0–29 पर मो0 हनीफ के नाम कायम जमाबंदी को आनलाइन पंजी–II में दर्ज करने तथा लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है।

आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0–03–सह–अंचल निरीक्षक, करमाटाँड़(विद्यासागर) ने जाँच प्रतिवेदन देकर भौतिक पंजी–II के कायम जमाबंदी के आधार पर मापी करने की अनुशंसा की।

राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0–3–सह–अंचल निरीक्षक तथा अंचल अमीन, करमाटाँड(विद्यासागर) ने संयुक्त रूप से मापी कर नक्शा सहित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है।

जाँच प्रतिवेदन तथा मापी प्रतिवेदन से निम्न बातें प्रकाश में आई है:–

(क) अंचल करमाटाँड(विद्यासागर) अन्तर्गत मौजा–करमाटाँड, नं0–11 के भौतिक पंजी–II के भाग सं0–02 के पृष्ठ सं0–29 पर मो0 हनीफ पिता–मो0 जहूर मियाँ के नाम पर जमाबंदी कायम है तथा लगान वर्ष 1990–91 तक वसूली गई दर्ज है।

(ख) भौतिक पंजी–II में प्लाट सं0–1029 / 2334 तथा रकवा–1.28 एकड़ दर्ज है।

(ग) परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार कालम में "Vide Rev. Misc. Appeal Case No- 231/76-77" दर्ज है।

(घ) मापी के पश्चात पाया गया कि आवेदक 1.28 एकड़ भूमि पर दखलकार है। जिसका प्लाट सं0–1029 / 2334 हैं।

अतः उक्त के आलोक में राजस्व–उपनिरीक्षक हल्का सं0–03–सह–अचल निरीक्षक करमाटाँड(विद्यासागर) ने आवेदक के दखल कब्जा तथा भौतिक पंजी–II में कायम जमांबंदी (पंजी–II के भाग सं0–02, पृष्ठ सं0–29) के आधार पर ऑनलाइन पंजी–II में रैयत मो0 हनीफ पिता–मो0 जहूर मियाँ, के नाम पर प्लाट सं0–1029 / 2334 रकवा–1.28 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम करने का अनुशंसा किया है।

16(सोलह) आना रैयत को उक्त के आलोक में नोटस निर्गत कर दावा–आपत्ति दर्ज करने को कहा गया तथा निर्धारित तिथि तक किसी भी माध्यम से कोई भी दावा / आपत्ति अप्राप्त है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0–03–सह अंचल निरीक्षक, करमाटाँड(विद्यासागर) के अनुशंसा के आलोक में कोई आपत्ति के अभाव में भौतिक पंजी–II के भाग सं0–02 के पृष्ठ सं0–29 पर कायम जमाबंदी को ऑनलाइन पंजी–II में जमाबंदी कायम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by Chonaram Hembrom
Date: 2024.12.14 13:36:42 +05:30
Location: 192.168.1.2

18.08.23

अंचल अधिकारी,
करमाटाँड़(विद्यासागर),
जामताड़ा।